न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

कसना पुत्र धरमा जी, जाति- कोली, निवासी-वरमाण, तहसील- रेवदर, जिला-सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरोही
2. रताराम पुत्र श्री अजई, जाति- कोली, निवासी- वरमाण, तहसील-रेवदर
3. शारदा पुत्री श्री अजई, जाति- कोली, निवासी- वरमाण, तहसील-रेवदर
4. नर्मदा पुत्र श्री अजई, जाति- कोली, निवासी- वरमाण, तहसील-रेवदर
5. कीकी पुत्री श्री अजई, जाति- कोली, निवासी- वरमाण, तहसील-रेवदर
6. गुलाबी पुत्री श्री अजई, जाति- कोली, निवासी- वरमाण, तहसील-रेवदर
7. श्रीमती होजी पत्नि श्री अजई, जाति- कोली, निवासी- वरमाण, तहसील-रेवदर
8. लुम्बाराम पुत्र भूरा जी, जाति- कोली, निवासी- वरमाण, तहसील- रेवदर
9. नगाराम पुत्र भूरा जी, जाति- कोली, निवासी- वरमाण, तहसील- रेवदर
10. हंसाराम पुत्र भूरा जी, जाति- कोली, निवासी- वरमाण, तहसील- रेवदर
11. सोनाराम पुत्र भूरा जी, जाति- कोली, निवासी- वरमाण, तहसील- रेवदर
12. सोमाराम पुत्र भूरा जी, जाति- कोली, निवासी- वरमाण, तहसील- रेवदर
13. करनाराम पुत्र भूरा जी, जाति- कोली, निवासी- वरमाण, तहसील- रेवदर
14. जोशना पुत्र भूरा जी, जाति- कोली, निवासी- वरमाण, तहसील- रेवदर

राजस्व अपील संख्या: 14/2017

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार शाह, प्रत्यर्थी संख्या-2 व 14 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 28 फरवरी, 2018**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा ग्राम वरमाण, पटवार हल्का वरमाण के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2016 दिनांक 11.5.2017 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या- 2 ता 14 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार शाह उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या- 1 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि

.....पेज दो पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

ग्राम वरमाण, पटवार हल्का वरमाण में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 28 खसरा संख्या 624 रकबा 25.08 बीघा तथा खाता संख्या 27 खसरा संख्या 623 रकबा 4.07 बीघा, 629 रकबा 20.17 बीघा, 635 रकबा 2.01 बीघा, 636 रकबा 4.09 बीघा, 637 रकबा 0.13 बीघा व 638 रकबा 9.15 बीघा भूमि में अपीलार्थी का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी एवं कब्जे काश्त का है, शेष आधा हिस्सा अन्य सहखातेदारान का है। प्रत्यर्थी संख्या 2 से 14 के पूर्वजों द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध एक वाद अर्न्तगत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया था, सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा वाद संख्या 50/1986 में द्वारा पारित व डिक्री दिनांक 21.12.1996 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई थी, जो अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर में दिनांक 11.5.2016 को उपस्थित नही हो पाने के कारण अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई थी। उक्त अपील को रेस्टोर कराने व पुन: सुनवाई हेतु नंबर पर लिये जाने के लिये अपीलार्थी की ओर से माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त RRT 2002(1) Page 324 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 50/86 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.1996 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर में अपील विचाराधीन है, इस प्रकार अपील प्रकरण माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर में विचाराधीन रहते हुए राजस्व रेकर्ड की प्रविष्ठियों को नही बदला जा सकता है, फिर भी अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रश्नगत नामानतरकरण प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 14 के पक्ष में दायर कर स्वीकृत किया गया है, जो गलत है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि निर्णय व डिक्री की पालना इजराय के माध्यम से की जा सकती है, लेकिन इस प्रकरण में इजराय प्रस्तुत हुये बिना ही प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या- 2 ता 14 के पक्ष में नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अपीलार्थी कसना के हक हिस्से की भूमि बैक के पक्ष में रहन की हुई है एवं जब तक भूमि बैक के पक्ष में रहन है, तब तक उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड की प्रविष्ठियों को नही बदला जा सकता है। प्रश्नगत नामान्तरकरण को दायर व स्वीकृत करने से पूर्व हल्का पटवारी एवं राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके की जांच नही की गई है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त Western Law Cases(Raj.) UC 2010 Page 314 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण को प्रत्यर्थी संख्या- 2 ता 14 के पक्ष में स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नही किया गया है एवं न ही सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या- 2 ता 14 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि उक्त 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि पना जी कोली, निवासी- वरमाण की खातेदारी कृषि भूमि थी। उक्त पना जी कोली के तीन

.....पेज तीन पर

जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पुत्र कला, हीरा व लखमा थे। कला जी कोली का एक पुत्र पोलिया था जो नाऔलाद फौत हुआ। हीरा जी का पुत्र धर्मा कोली है जो अपीलार्थी कसना के पिता है व उक्त लखमा जी कोली का पुत्र भूरा कोली है तथा भूराजी कोली के उत्तराधिकारी प्रत्यर्थी संख्या- 2 ता 14 है। मौके पर प्रत्यर्थी संख्या- 2 ता 14 अपने पूर्व रसाधिकारियें के जरिये अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है। प्रत्यर्थी पक्ष के अधिवक्ता का यह भी रहा कि प्रत्यर्थी संख्या- 2 ता 14 के पूर्व रसाधिकारी भूरा जी कोली ने अपने हक हिस्से की भूमि प्राप्त करने हेतु सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 व 53 के तहत खातेदारी घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया। उक्त राजस्व वाद संख्या 50/86 में सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा भूरा जी कोली के पक्ष में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.1996 को पारित की गई। उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी, सिरोही में अपील संख्या 2/1997 प्रस्तुत हुई जो दिनांक 25.2.2002 को खारिज हुई एवं माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर में अपील संख्या 2002/2000 प्रस्तुत हुई जो माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 11.5.2016 को खारिज की जा चुकी है। प्रत्यर्थी पक्ष के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण को सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.1996 की पालना में प्रत्यर्थी संख्या- 2 ता 14 के पक्ष में दायर किया जाकर स्वीकृत किया गया है एवं सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.1996 के विरुद्ध कोई स्थगन आदेश प्रभाव में नही था। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना करने के लिये इजराय प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है, क्योंकि यदि न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री की पालना नही हो रही हो तो ही इजराय प्रस्तुत की जाती है। प्रत्यर्थी पक्ष के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रश्नगत नामान्तरकरण के विरुद्ध प्रस्तुत यह अपील परिपोषणीय नही है, क्योंकि प्रश्नगत नामान्तरकरण सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना में दायर होकर स्वीकृत हुआ है। यदि अपीलार्थी व्यथित पक्ष है तो अपीलार्थी को सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोहि करनी चाहिये। अत: अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.2016 की पालना में नियमानुसार नामान्तरकरण दायर कर बाद जांच स्वीकृत किया गया है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम वरमाण, पटवार हल्का वरमाण, तहसील- रेवदर के खाता संख्या 27 खसरा संख्या 623 रकबा 4.07 बीघा, 629 रकबा 20.17 बीघा, 635 रकबा 2.01 बीघा, 636 रकबा 4.09 बीघा, 637 रकबा 0.13 बीघा व 638 रकबा 9.15 बीघा कुल किता 6 रकबा 42.02 बीघा भूमि तथा खाता संख्या 28 खसरा संख्या 624 रकबा 25.08 बीघा भूमि के 1/4 हक हिस्से के संबंध में सहायक कलेक्टर (उपखण्ड़ अधिकारी), सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 50/1986 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.1996 की पालना में प्रत्यर्थी

.....पेज चार पर

सहा. कलेक्टर
सिरोही (राज.)

संख्या- 2 ता 14 के पक्ष में हल्का पटवारी, वरमाण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2016 दायर किया गया जिसे उप तहसीलदार, मण्डार द्वारा दिनांक 11.5.2017 को स्वीकृत किया गया है।

इस संबंध में अपीलार्थी पक्ष का यह कथन है कि सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.2996 के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील विचाराधीन होने से उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड की प्रविष्ठियों को नही बदला जा सकता है। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में विधिक दृष्टान्त RRT 2002(1) Page 324 प्रस्तुत किया गया है, किन्तु उक्त विधिक दृष्टान्त इस प्रकरण में लागू नही होता है, क्योंकि उक्त विधिक दृष्टान्त के तथ्य वाद के विचाराधीन रहते हुए राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्ठियां नही बदली जाने के संबंध में है। जबकि इस प्रकरण में सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा राजस्व वाद संख्या 50/1986 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.12.1996 की पालना में नामान्तरकरण होकर स्वीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अत: अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सुनाया गया।

28.02.18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही